उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/45

पं.सं. 561-ई/6 सी.पी.सी./08 दिनांक 19/11/2008

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Fixation of pay in the pay bands where posts have been upgraded as a result of recommendations of Sixth CPC- Clarification regarding.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-VI/2008/I/RSRP/1 दिनांक 11/11/2008 (आर.बी.ई.सं.172/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI/45 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-VI/2008/I/RSRP/1 दिनांक 11/09/2008 की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/2 दिनांक 12/09/2008 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त

19/11/2008

(Trilok Choudhari)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-
1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू,12 चेम्सफोर्ड रोड;नयी दिल्ली
3. महासचिव;अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर,नईदिल्ली-24
4. महासचिव;अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

-1-

HR PS No 13500/45

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 172/2008

क्र. सं. पीसी-VI/45
सं. पी सी-VI/2008/I/आरएसआरपी/1 **नई दिल्ली, दिनांक.11.11.2008**

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषयः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अपग्रेड किये गये पदों के मामलों में वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 2(क) निम्नानुसार है:-

" टिप्पणी 2(क) - जहां किसी पद को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप स्तरोन्नत किया गया है, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची में दर्शाया गया है, वहां लागू वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुरूप निर्धारित पद्धति से दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन को गुणक 1.86 से गुणा करने के फलस्वरूप आने वाली संख्या को दस के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा। स्तरोन्नत वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अतिरिक्त रूप से देय होगा। इस संबंध में **उदाहरण 4 क** इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।"

2. तदनुसार, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप पदों के अपग्रेडेशन के मामलों में, वेतन बैंड में वेतन के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 11.09.2008 के समसंख्यक पत्र के साथ संलग्न, पूर्व संशोधित वेतनमान के तदनुरूपी फिटमेंट सारणी का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह निर्धारित वेतन बैंड में वेतन में, अपग्रेडिड पद के तदनुरूपी ग्रेड वेतन को जोड़ा जाएगा । यह रेल सेवक, जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप अपग्रेड किया गया है, का संशोधित वेतन होगा।

3. उदाहरण के लिए रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कांस्टेबलों (कॉब्रेटाइज्ड) को 3050-4590 के पूर्व संशोधित वेतनमान से पीबी-1 में 2000 रुपए के ग्रेड वेतन के तदनुरूपी 3200-4900 रुपए के वेतनमान में अपग्रेड किया गया है। रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कांस्टेबल जो 01.01.2006 को 3575 रुपए का मूल वेतन आहरित कर रहा है, के मामले में,

P-PC-VI

-2-

वेतन बैंड में उसका वेतन 3050-4590 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान की फिटमैंट सारणी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अतः 3050-4590 के पूर्व संशोधित वेतनमान की तदनुरूपी सारणी के अनुसार वेतन बैंड में उनका संशोधित वेतन 6650 रुपए होगा। इसमें 3200-4900 रुपए के अपग्रेडिड वेतनमान के तदनुरूपी 2000 रुपए का ग्रेड वेतन जोड़ा जाएगा। परिणामस्वरूप, 01.01.2006 को उसका संशोधित मूल वेतन 8650 रुपए होगा।

4. उपर्युक्त कार्यविधि सभी मामले जहां वेतन आयोग द्वारा वेतनमान अपग्रेड किया गया है जिनमें रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबुलरी और अन्य (कॉंबेटाइज्ड) रैंक, रेलवे बोर्ड में सहायक और अनुभाग अधिकारी, लेखा कर्मचारी और अध्यापक/अध्यापिका और नर्सों आदि के सामान्य कोटि संवर्ग शामिल हैं, में अपनाई जाए। यह सूची दृष्टांत के रूप में है और व्यापक नहीं है। इसी प्रकार की कार्यविधि रनिंग स्टाफ के लिए अपनाई जाएगी जो इस शर्त के अध्यधीन है कि उनके मामले में बोर्ड के 12.09.2008 के समसंख्यक पत्र के तहत परिपत्रित फिटमैंट सारणियों का वेतन बैंड में वेतन के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाएगा।

5. सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि किसी मामले में उपर्युक्त से कोई विचलन न हो [रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अन्य उपबंधों के अध्यधीन हो]। उपर्युक्त से इतर अन्य किसी तरीके से अपग्रेडेशनों के मामले में निर्धारित वेतन में सुधार किया जाएगा।

(कोशी थॉमस)
सं.निदेशक, वेतन आयोग-II,
रेलवे बोर्ड

F-PC-VI

-3-

Government of India भारत सरकार
Ministry of Railways रेल मंत्रालय
(Railway Board रेलवे बोर्ड)

S.No. PC-VI/45 R.B.E. No. 172/2008
No PC-VI/2008/I/ RSRP/1 **New Delhi, dated 11.11.2008**

The GMs/CAOs(R)
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)

Subject:- **Fixation of pay in the pay bands where posts have been upgraded as a result of recommendations of Sixth CPC- Clarification regarding.**

Note 2 A below Rule 7 of the RS(RP) Rules, 2008 states as under:-

"**Note 2A** - Where a post has been upgraded as a result of the recommendations of the Sixth CPC as indicated in the Schedule to these Rules, the fixation of pay in the applicable pay band will be done in the manner prescribed in accordance with Clause (A) (i) and (ii) of Rule 7 by multiplying the existing basic pay as on 01-01-2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the upgraded scale will be payable in addition. ***Illustration 4A*** in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules."

2. Accordingly, in cases of upgradation of posts as a result of recommendations of Sixth CPC, the fitment table attached with the letter of even number dated 11.09.2008 corresponding to the **pre-revised scale** shall be used for the purpose of determination of pay in the pay band. To the pay in the pay band so determined, the grade pay corresponding to the upgraded post is to be added. This will be the revised pay of the Railway servant who has been upgraded as a result of Sixth CPC recommendation.

3. To illustrate, RPF/RPSF Constables (Combatised) have been upgraded from pre-revised scale of Rs.3050-4590 to the pay scale of Rs.3200-4900 corresponding to the

grade pay of Rs.2000 in PB-1. In the case of a RPF/RPSF Combatised Constable drawing the basic pay of Rs.3575 as on 01.01.2006, his pay in the pay band will be fixed in accordance with the fitment table of the pre-revised scale of Rs.3050-4590. Hence, his revised pay in the pay band will be Rs.6650 as per the table corresponding to the pre-revised scale of Rs.3050-4590. To this, the Grade Pay of Rs.2000 corresponding to the upgraded pay scale of Rs.3200-4900 will be added. Consequently, his revised basic pay would be Rs.8650 as on 01.01.2006.

4. The above procedure is to be adopted in all cases where pay scales have been upgraded by the Pay Commission, including Constabulary and other Combatised ranks in the RPF/RPSF, Assistants and Section Officers in the Railway Board, Accounts Staff and the common category cadres of Teachers and Nurses etc.. This list is illustrative and not exhaustive. Similar procedure is to be adopted for Running Staff subject to the condition that in their case fitment tables circulated vide Board's letter of even number dated 12.9.2008 will be used for determination of pay in the pay band.

5. All Zonal Railways/ Production Units are directed to ensure that in no case is there any deviation from the above [subject to other provisions of RS(RP) Rules, 2008]. Pay fixed in the case of upgradations in any manner other than the above, will be rectified.

(Koshy Thomas)
Jt. Director, Pay Commission-II
Railway Board

No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 **New Delhi, dated 11.11.2008**

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways

No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 **New Delhi, dated 11.11.2008**

Copy forwarded to ; -

FA& CAO's (a) All Indian Railways, (b) CLW, DLW, ICF, Wheel & Axle Plant / Bangalore , DMW/ Patiala , RCF/ Kapurthala (c) MTP (R) Mumbai & Chennai (d) Metro Railway (Calcutta), (e) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi (f) CORE / Allahabad.
FA& CAOs (Const.) & General Manager (Const.) (a) Northeast Frontier Railway Guwahati and (b)Southern Railway, Bangalore.